FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Ambala **Year (वर्ष):** 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0005 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 01/02/2025 20:06 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	316(2)
2	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	316(5)
3	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	318(4)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 01/02/2025 **Time (समय):** 20:06 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 011 **Date and Time (दिनांक और समय):** 01/02/2025 20:06 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** NORTH-EAST, 50 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): अम्बे राईस मील बखतुआ,नारायणगढ

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** मुकेश कुमार

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1970 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**उप पुलिस अधीक्षक, भ्र0नि0ब्यूरो अम्बाला, SECTOR-9, AMBALA CITY, AMBALA, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**उप पुलिस अधीक्षक, भ्र0नि0ब्यूरो अम्बाला, SECTOR-9, AMBALA CITY, AMBALA, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9416953399

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	प्रेम चन्द		Father's Name: शांति स्वरुप	1. 22,सैक्टर-28,चण्डीगढ CHANDIGARH,CHANDIGARH,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

श्रीमान जी, नकल लेख निम्न प्रकार से है:-

सेवा में,

थाना प्रबन्धक,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
अम्बाला मण्डल अम्बाला।

श्रीमान् जी,

निवेदन है कि जांच क्रमांक 02 दिनांक 29.01.2025 अम्बाला, मुख्य सचिव चौकसी विभाग चण्डीगढ के पत्र क्रमाक 55/01/2025-3VII दिनांक 28.01.2025, कार्यालय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा, पंचकूला के पृष्ठांक क्रमांक 1872/आई-1/। ACB(H)दिनांक 29.01.2025 अनुसार दर्ज रजिस्ट्रर्ड होकर कार्यालय पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला के डायरी क्रमांक 190 दिनांक 29.01.2025 अनुसार पड़ताल हेतू प्राप्त हुई थी। जिसमें आसूचना रिपोर्ट के आधार पर अन्य आरोपों के अतिरिक्त यह भी आरोप था कि श्री प्रेम चंद द्वारा अम्बे राईस मील बख्तुआ में सरकार की अमानत के तौर पर रखी हुई धान से चावल तैयार करके बाहर खुले बाजार में बेचे गये है। यदि अम्बे राईस मिल्स को आंबटित की गई धान की तुरन्त प्रभाव से फिजीकल चैंकिग करवाई जाये तो मिल में सरकार की रखी गई अमानत धान में से लगभग 15 से 20 हजार बैग धान कम मिल सकता है। जिसकी कीमत सवा करोड से पौने दो करोड के बीच हो सकती है। आरोप की पडताल में अम्बे राईस मील बख्तुआ का भौतिक निरीक्षण करने के लिए निरीक्षक राजेश कुमार, निरीक्षक देवेन्द्र कुमार (सी0डी0सी0), स0उ0नि0 राजीव कुमार, मु0सि0 जसपाल, मु0सि0 जयभगवान, मु0सि0 सोमनाथ के साथ टीम गठित करके पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला से स्वीकृति प्राप्त होने उपरान्त टीम के साथ श्री रवि प्रकाश मैनेजर हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लि0 (HAFED) नारायणगढ तथा श्रीमति मीनाक्षी गर्ग निरीक्षक व विकास पपनेजा निरीक्षक कार्यालय जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, अम्बाला को टीम में सम्मिलित करके अम्बे राईस मील बख्तुआ के मुंन्शी श्री बलजिन्द्र की मौजूदगी में भौतिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कुल 58793.25 क्विंटल जीरी नारायणगढ व साथ लगती मण्डियों से अम्बे राईस मिल बख्तुआ को प्राप्त होनी पाई गई। स्टॉक रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 29.01.2025 को 39432 क्विंटल धान रजिस्टर में दर्शाया गया है जबकि मौका भौतिक निरीक्षण के दौरान निरीक्षण रिपोर्ट में अम्बे राईस मील बख्तुआ के पास 33320.18 क्विंटल धान का ही स्टॉक पाया गया। इसी प्रकार दिनांक 29.01.2025 तक स्टॉक में 5722 क्विंटल चावल स्टॉक रजिस्टर में दर्शाया गया है जबकि मौका भौतिक निरीक्षण के दौरान अम्बे राईस मील बख्तुआ के पास 1549.38 क्विंटल चावल ही अम्बे राईस मिल बख्तुआ मे स्टॉक पाया गया तथा 8310.98 क्विंटल चावल FCI गोदामों में डिलिवर होना पाया गया जो कुल चावल की मात्रा को टीम के साथ मौजूद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निरीक्षक मीनाक्षी गर्ग, निरीक्षक विकास व रवि प्रकाश मैनेजर हैफेड नारायणगढ, द्वारा निर्धारित पैमाने अनुसार जीरी में Convert किया गया। जो कि कुल 48037.13 क्विंटल जीरी (जीरी चावल (Converted in Peddy)) ही भौतिक निरीक्षण के दौरान अम्बे राईस मील में व सरकारी एजेन्सी FCI को भिजवानी पाई गई। इस प्रकार अम्बे राईस मील बख्तुआ के पास अमानत के तौर पर रखी कुल 58793.25 क्विंटल धान स्टॉक से 10756.12 क्विंटल जीरी (58793.25-48037.13) का स्टॉक भौतिक निरीक्षण के दौरान कम होना पाया गया। सरकार द्वारा उपरोक्त PR धान को 2320/-रू0 प्रति क्विंटल की दर से खरीद किया गया था। कम हुए स्टॉक 10756.12 की अनुमानित कीमत लगभग 2,50,00,000/-रू0 पाई गई। इसलिए अम्बे राईस मिल बख्तुआ नारायणगढ़ के प्रोपराईटर प्रेमचन्द पुत्र शांति स्वरूप पुत्र रूलिया राम वासी म0न0 22 सैक्टर-28 चण्डीगढ़ द्वारा एक राईस मिल प्रबन्धक/व्यवसायी के रूप में सरकार द्वारा उसके पास लगभग 2,50,00,000/-रू0 के सरकारी धान के रूप में रखी अमानत में खयानत की जानी तथा मौका पर मौजूद धान व चावल के असल स्टॉक को छिपाकर स्टॉक रजिस्टर में गलत आंकडे दिखलाकर फर्जीवाडा किए जाने के साक्ष्य प्रथम दृष्टव्या सामने आने पर प्रेमचन्द पुत्र शांति स्वरूप उपरोक्त के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2), 316(5) व 318(4) के तहत अभियोग अंकित किए जाने का सुझाव तथा अभियोग के अनुसंधान के दौरान कार्यालय जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों व अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता पाई जाने पर नियमानुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाने का सुझाव दिया गया था। इसके अतिरिक्त अभियोग अंकित होने पर जांच में लगाए गए आरोप न0 (01) यह है कि गांव बख्तुआ में अम्बे राईस मिल्स की कैपेसिटी 2 टन पास है। सरकार द्वारा जारी की गई पोलिसी के अनुसार कैपेसिटी 2 टन पास मिल मालिक को 5000 MT (मैट्रिक टन) धान आंबटित किया जा सकता है यदि मिल किसी अन्य व्यक्ति को लीज पर दी जाये तो लीज पर गई मिल को 4000 MT (मैट्रिक टन) धान से अधिक धान आंबटित नही किया जा सकता है। श्री प्रेम चंद मिल मालिक द्वारा श्री विनोद दुबे निरीक्षक, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग व कार्यालय खाद्य आपूर्ति विभाग अम्बाला के अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों से मिली भगत करके 4000 MT (मैट्रिक टन) के स्थान पर 1 लाख 57 हजार बैग धान (लगभग 5887 MT) उपरोक्त मिल

के लिए आंबटित करवाई है, जो कि नियमानुसार सही नही है व आरोप न0 (02) यह कि सरकार द्वारा जारी की गई पोलिसी में दर्शाई गई शर्त के अनुसार धान प्राप्त करने वाली मिल के मालिक को गांरटी के तौर पर प्रति टन कैपेसिटी के अधार पर DFSC/DM के नाम पर 50 लाख रू. का चैक देना होता है और इसके अतिरिक्त मिल मालिक को प्रति टन कैपेसिटी के लिए 25 लाख रू की एफ.डी व अगले प्रति टन के लिए 5 लाख रू. की एफ.डी गांरटी के तौर पर DFSC/DM के नाम पर देनी होती है। जोकि श्री प्रेम चंद द्वारा करके 8.50 लाख रू. की एफ.डी दी गई है जो श्री प्रेम चंद द्वारा खाद्य आपूर्ति विभाग अम्बाला के अधिकारियों/कर्मचारियो से मिलीभगत करके शर्तो के अनुसार गांरटी व सिक्योरिटी नही दी गई है, बारे भी गहनता से अनुसंधान किए जाने का सुझाव देकर जांच की अन्तिम रिपोर्ट इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 406/भ्र.नि.ब्यूरो दिनांक 31.01.2025 अनुसार कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा, पंचकूला भिजवाई गई थी जिस पर कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा, पंचकूला के पत्र क्रमांक 2089/I-1/ACB(H) दिनांक 01.02.2025 अनुसार प्रेमचन्द उपरोक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं के तहत अभियोग अंकित किए जाने के आदेश प्राप्त हुए हैं। अतः प्रेमचन्द पुत्र शांति स्वरूप पुत्र रूलिया राम वासी म0न0 22 सैक्टर-28 चण्डीगढ़ के विरूद्ध धारा 316(2), 316(5) व 318(4) भारतीय न्याय संहिता के तहत अभियोग अंकित करने व अभियोग के अनुसंधान के दौरान कार्यालय जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों व अन्य की संलिप्तता पाई जाने पर उसे देख लिया जाए, लेख प्रस्तुत है। अभियोग अंकित करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां बतौर स्पैशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्टरेट व उच्चाधिकारियों की सेवा में भिजवाई जाए। नकल मिसल मय असल लेख आगामी अनुसंधान के लिए अनुसंधान अधिकारी के हवाले की जाए।

-sd-Mukesh Kumar
मुकेश कुमार(ह0पु0से0)
उप पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
अम्बाला मण्डल, अम्बाला।

अज थाना- इस समय एक टाईप शुदा लेख श्री मुकेश कुमार (ह.पू.से.) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला बर खिलाफ प्रोपराईटर प्रेमचन्द पुत्र शांति स्वरूप पुत्र रूलिया राम वासी म0न0 22 सैक्टर-28 चण्डीगढ़ बाबत आरोपी द्वारा एक राईस मिल प्रबन्धक/व्यवसायी के रूप में सरकार द्वारा उसके पास लगभग 2,50,00,000/-रू0 के सरकारी धान के रूप में रखी अमानत में खयानत किये जाने तथा मौका पर मौजूद धान व चावल के असल स्टॉक को छिपाकर स्टॉक रजिस्टर में गलत आंकडे दिखलाकर फर्जीवाडा किए जाने बारे बाजूर्म धारा 316(2), 316(5) व 318(4) भारतीय न्याय संहिता का होना पाया जाने पर थाना मे प्राप्त होने पर मुकदमा न. 5 दिनांक 01.02.2025 धारा 316(2), 316(5) व 318(4) भारतीय न्याय संहिता दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति बतौर स्पेशल रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से सेवा मे ईलाका मैजिस्ट्रैट साहब अम्बाला की सेवा मे भेजी जा रही है। नकल मिसल पुलिस मय असल लेख मय रिकार्ड, शिकायत फाईल, प्रलेख फाईल, पुलिस फाईल व अन्तिम फाईल कुल 4 फाईलें रखी गई जो आगामी अनुसंधान हेतू हस्ब आदेश अफसरान बाला श्री ओम प्रकाश उप पुलिस अधीक्षक भ्र0नि0ब्यूरो अम्बाला के हवाले की जायेंगी। ईन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट की अन्य प्रतियां उच्चाधिकारीगण व सम्बन्धित की सेवा मे बजरिया डाक भिजवाई जायेंगी। यह अभियोग निरीक्षक सुबे सिंह थाना भ्र0नि0ब्यूरो उप केन्द्र कैथल की हाजिरी मे दर्ज किया जा रहा है।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** Om Prakash (Dy. SP (Deputy Superintendant of Police))/HPS **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** **Rank (पद):**

No. (सं.): **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Om Prakash

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): HPS

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद *7* संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Male					**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)